बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-13/अ0प्र0-01-04/2025 578 /पटना, दिनांक 12/9/25

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 (सिविल) की लंबित कंडिका-3.3.2 (असमायोजित अग्रिम) में सन्निहित ₹ 62.84 करोड़ मात्र की राशि में समायोजन के उपरांत अवशेष ₹ 12.6742 करोड़ मात्र के त्वरित समायोजन/अनुश्रवण हेतु विभाग अन्तर्गत त्रि-सदस्यीय कमिटी का गठन किया जाता है।

कमिटी निम्नवत है:-

1.	अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग	-	अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना	-	सदस्य
3.	श्री प्रवीण कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	-	सदस्य

2. कमिटी को अभिलेख एवं लिपिकीय सहायता हेतु श्री चन्दन कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

3. कमिटी, संबंधित प्रमंडलों को निदेशित करते हुए समायोजन की कार्रवाई एवं अनुश्रवण के उपरांत पाक्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

4. कमिटी, संबंधित मामले में दायर नीलामवाद को जिला नीलामवाद अधिकारी से समन्वय स्थापित कर त्वरित निष्पादन हेतु अपेक्षित कार्रवाई सहित पाक्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगी।

5. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12/9/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2025 9860 /पटना, दिनांक- 12/9/25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2025 9860 /पटना, दिनांक- 12/9/25

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-01-04/2025 9860 /पटना, दिनांक- 12/9/25

प्रतिलिपिः- श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री प्रवीण कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/25

सरकार के अवर सचिव